न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

वाद पत्र. संख्या ::– 88/2014

भवानीलाल आत्मज स्व0 भंवरलाल दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1– श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोय, चितौडगढ

2– श्री तहसीलदार साहब बेगूँ तह0 बेगूँ — प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री एस.एन. ईनाणी
अधिवक्ता वादी
तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक::– 22.12.2023

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री ईनाणी ने प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा बेगूँ तह0 बेगूँ में वादी के खातेदारी एवं आधीपत्य की वर्तमान बंदोबस्त की आराजी संख्या 1972/8 रकबा 0.227 हैक्टर किस्म माल सेकण्ड स्थित हें यह आराजी साबिक नम्बर 6/1874 रकबा सवा बीघा से बनी है। यह कि साबिक बदोबस्त के नक्शे के अनुसार यह आराजी शरहद मौजा खैरमालिया पर स्थित होकर नक्शे में शरद के मुटाम के पास स्थित है, जो कि उत्तर की तरफ है और वहीं पर वादी काबीज चला आ रहा है किन्त बंदोबस्त के नक्शे में वर्तमान आराजी नम्बर 1972/8 को दक्षिण की तरफ मुटाम से दूर दर्शित कर दिया गया है जो पूर्णतया गलत है और साबिक नक्शे के विपरीत है। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा वादी को यह धमकी दी जा रही है कि रेकार्ड के अनुसार वादी गलत जगह पर बैठा हुआ है। जबकि वादी पूर्ववतः पूर्वजो के वक्त से जहॉ काबिज है वही काबीज चला आ रहा है और आराजी के पत्थर की कोट भी बना रखी है इस प्रकार राजकीय कर्मचारियों द्वारा रेकार्ड (नक्शे में) गलत अंकन कर दिये जाने से वादी को अनावश्यक जलील व परेशान किया जा रहा है व बेदाल करने की धमकी दी जाती हैं।

यह कि नक्शे की गलती का राजस्व कर्मचारीगण गलत लाभ उठाना चाहते है जिससे वादी नक्शे में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है कि वादी की वर्तमान आराजी नम्बर 1972/8 रकबा 0.227 शरहद मौजा खैरमालिया में मुटाम के पास उत्तर की तरफ स्थित है और नक्शे में दक्षिण की तरफ मुटाम से दूर जो नक्शे में दर्शित किया गया है वह गलत है।

यह कि बिनाए दावा दिनांक 25.02.2014 से शुरू होती है जबकि पटवारी हल्का ने वादी को गलत जगह काबीज होना बताकर बेदखल करने की धमकी दी जो प्रतिदिन हो रही है। आराजी मौजा बेगूँ तह0 बेगूँ में अवस्थित है एवं घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु यह वाद होने से काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत समायत न्यायालय आप हैं।

यह कि यह वाद राजस्थान राज्य एवं उसके अधिकारियों के विरूद्ध होने से प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 05.04.2014 को दिया गया जो प्रतिवादी को 07.04.2014 को प्राप्त हो गया है किंतु प्रतवादीगण ने न तो नक्शे में दुरूस्ती की और न ही कोई उत्तर ही दिया है जिससे यह वाद [illegible] आवश्यक हुआ है।

वादी की प्रार्थना है किः–

(क) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] कि मौजा बेगूँ तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी नम्बर 1972/8 रकबा 0.227 हैक्टर जो साबिक [illegible] 6/1874 से [illegible] वह नक्शे में शरहद खैरमालिया पर मुटाम के पास उत्तर की [illegible] साबिक नक्शे अनुसार [illegible] और इसी के अनुसार वर्तमान नक्शे साबीक नक्शे के अनुसार दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किये जाने की डिकी प्रदान की जावें।

(ख) कि खर्चामुकद्मा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(ग) अन्य सहायता जो मुफीद वादी हो ओर न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ न्यायालय में उपस्थित आए तथा अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र को अस्वीकार [illegible] जवाब दावे के विशेश कथन में निवेदन किया कि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:14 IST
Reason: SelfAttested

जाने से पूर्व ही रखाया जाकर न्यायालय द्वारा लोक अदालत में ही इस वाद पत्र को दस्तावेजो के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया गया है, किन्तु माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ द्वारा इस न्यायलय के निर्णय विरूद्ध अपील में उनके निर्णय दिनांक 02.02.2016 को इस न्यायालय द्वारा पारि निग्रय व डिकी दिनांक 29.07.2015 अपास किए जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया गया कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जावे वादी व प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे एवं परीक्षणोपरान्त अजसरे नौ निर्णय पारित किया जावें। इन निर्देशो की पालना में इस दावा पत्रावली में निम्न तनकी पत्र कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया मौजा बेगूँ की आराजी नम्बर 1972/8 रकबा 0.227 हैक्टर जो साबिक नम्बर 6/1874 से बनी है जो नक्शे में सरहद खैरमालिया के मुटाम के पास उत्तरी तरफ साबिक नक्शा अनुसार स्थित है और इसी अनुसार दुरूस्ती करा इन्द्राज में साबिक नक्शा अनुसार दुरूस्ती करा इन्द्राज करा पाने के वादी अधिकारी है?

वादी

2–आया कि ग्राम बेगूँ नवीन आराजी नम्बर 1972/8 रकबा 2.227 हैक्टर भूमि खातेदार श्री भवानीलाल वाद के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी नम्बर 6/1874 के अनुरूप ही वर्तमान भून्प्रबन्ध का नक्शा तैयार किया गया है वादी इर्न्द्राज दुरूती करा पाने के अधिकारी नहीं है?

प्रतिवादी सरकार

3– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण को वास्ते साक्ष्य हेतु तलब किया गया, पत्रावली में वादी भवानीलाल की ओर साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिनसे प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ ने वक्त जिरह प्रश्न किये जिसमें वादी ने कहा कि मुझे सेटलमेन्ट विभाग से कच्ची पानडी दी हो और उसमें एक माह का समय उज्रदारी हेतु दिया हो यह बात सही है कि मैने कोईदावा सैटलमेन्ट के विपरीत पेश नहीं किया, क्यो कि मै आराजी नम्बर 6/1874 में दिनांक 08.04.1949 से काबिज हूँ , यह कहना गलत है कि नया नक्शा जो बना वह पुराने के अनुरूप बना हो। वक्त जिरह वादी ने दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श भी कराये तथा अपने बयान कलमब; करायें, वादी ने अपनी साक्ष्य के अतिरिक्त और कोई साक्ष्य गवाह प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी तहसीलदार, बेगूँ को राज्य सरकार की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी हेतु कई बार अवसर दिये गये लेकिन उनके द्वारा पत्रावली में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस किये जाने का निवेदन किया गया । इस प्रकार दावा पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादी की ओर से वादपत्र अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा है कि जो नक्शाट्रे गत में था उसके मुकाबले वर्तमान नक्शा नहीं होने से वादी यह वाद पत्र लेकर आए है जो दस्तावेज अनुसार सिद्ध है । वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें। बहस में पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ ने निवेदन किया कि ग्राम बेगूँ नवीन आराजी नम्बर 1972/8 रकबा 2.227 हैक्टर भूमि खातेदार श्री भवानीलाल वाद के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत आराजी नम्बर 6/1874 के अनुरूप ही वर्तमान भून्प्रबन्ध का नक्शा तैयार किया गया है, वादी का वादपत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है। हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार पत्रावली में कायम तनकी [illegible] प्रकार से किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:14 IST
Reason: SelfAttested

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सि[illegible] पर है। वादी द्वारा अपने दावा पत्रावली में वादपत्र के समर्थन हेतु नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ [illegible] बेगूँ सं0 2067 से 2070 तक की प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श– 1 उक्त ज[illegible] संख्या 1972/8 रकबा 0.227 हैक्टर भूमि के खातेदार वादी श्री भवानीलाल पिता भंवरलाल दरोगा सा0 देह का नाम अंकित किया हुआ है, नक्शाट्रेस आराजी संख्या 1972/8 का प्रस्तुत किया है जो कि प्रदर्श– 2 है, नकल भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग के आराजी मिलान खसरा की नकल प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श– 3 है उक्त नकल के अवलोकन से पाया कि गत भूमाप आराजी संख्या 6/1874 से वर्तमान नम्बर 1872/8 बने है, नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ सं0 2028 की प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श–4 है इस जमाबंदी में भी आराजी संख्या 1972/8 के खातेदार वादी भुवानीलाल पिता भंवरलाल दरोगा का नाम अंकित है। प्रदर्श– 5 नक्शा किश्तवार ग्राम कस्बा बेगूँ का प्रस्तुत किया है, व प्रदर्श–6 कस्बा बेगूँ खास

प्रदर्श–9 रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद है। प्रदर्श–10, 11 व प्रदर्श–13 डाकघर अधीक्षक को लिखा गया पत्र एवं उसका जवाब इत्यादि है। वादी द्वारा दावा पत्रावली में अपनी ओर से एक मात्र स्वयं की ही साक्ष्य प्रस्तुत की है अन्य कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किये है साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी आराजी संख्या 1972/8 के खातेदार है तथा भून्प्रबन्ध विभाग द्वारा भून्प्रबन्ध के दोरान ही ग्राम बेगूँ की गत आराजी संख्या 6/1874 के अनुरूप ही वर्तमान भून्प्रबन्ध का नक्शा तैयार किया था जो सही है, इस प्रकार तनकी नम्बर 1 को वादी अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 1 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पैरोकार सरकार का है, हालॉकि प्रतिवादी द्वारा दावा पत्रावली में उनकी ओर से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किए है किन्तु तनकी नम्बर 1 के निर्णय के अनुसार वादी अपने वाद पत्र का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है, जिससे यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

पत्रावली में कायम की गई दोनो ही तनकी पत्र का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में हुआ है वादी अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध करा पाने में सफल नहीं होने से वादी का वाद पत्र एतद् द्वारा खारीज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादी का वादपत्र एतद् द्वारा खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:14 IST
Reason: SelfAttested